के कितने कर्मचारियों को निलम्बित और उत्पीड़ित किया गया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त कर्मचारियों के मामलों पर फिर से विचार करने तथा सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार उनके दण्ड को माफ करने का है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और तैयार होने पर सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) जी हां । यह निर्णय ले लिया गया है और आदेश जारी कर दिये गए हैं कि ऐसे सभी स्थायी या अस्थायी कर्मचारी जिनके विरुद्ध पिछली हड़ताल के संबंध में हिंसा, डराने-धमकाने या भड़काने के काम में सक्रिय भाग लेने की शिकायतें होने के कारण जिन्हें अब तक बहाल नहीं किया गया है, उन्हें अब सेवा पर वापस ले लिया जाए । भले ही उनके विरुद्ध न्यायालय में या विभागीय कार्रवाई चल रही हो अथवा नियमों के अंतर्गत समुचित अनुशासनिक कार्रवाई करनी हो ।

सितम्बर 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण उत्तर प्रदेश में निलम्बित किए गए डाक-तार कर्मचारियों की बहाली

*753. **श्री शारदा नन्द :**
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ऐसे डाक कर्मचारियों की जिला-वार संख्या क्या है जो सितम्बर, 1968 की हड़ताल के बाद निलम्बित तथा परेशान किये गये थे ; और

(ख) क्या सरकार उस राज्य के निलम्बित डाक कर्मचारियों के मामलों पर पुनर्विचार करेगी और इस बारे में सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन को दृष्टि में रखते हुए उनके दण्ड को माफ कर देगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) उत्तर प्रदेश में हड़ताल के कारण मुअत्तल किये गए कर्मचारियों की कुल संख्या 113 है और जिन अस्थायी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई थी उनकी संख्या 33 है । प्रत्येक डिवीजन की अलग-अलग संख्या संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है ।

(ख) जी हां । यह निर्णय ले लिया गया है और आदेश जारी कर दिये गए हैं कि ऐसे सभी स्थायी या अस्थायी कर्मचारी जिनके विरुद्ध पिछली हड़ताल के संबंध में हिंसा, डराने-धमकाने या भड़काने के काम में सक्रिय भाग लेने की शिकायतें होने के कारण जिन्हें अब तक बहाल नहीं किया गया है, उन्हें अब सेवा पर वापस ले लिया जाए भले ही उनके विरुद्ध अदालत में या विभागीय कार्रवाई चल रही हो अथवा नियमों के अंतर्गत समुचित अनुशासनिक कार्रवाई कर ी हो ।

विवरण

उत्तर प्रदेश सर्किल

19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल संबंधी सूचना

क्रमांक	डिवीजन का नाम	मुअत्तल किये गए स्थायी या अर्ध-स्थायी कर्मचारियों की संख्या	दंडित किए गए स्थायी या अर्ध-स्थायी कर्मचारियों की संख्या और दंड का ब्यौरा	सेवा से बर्खास्त किए गए अस्थायी कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4	5
	डाक			
1	ल न	1	—	—
2	कानपुर	21	—	1

1	2	3	4	5
3	इलाहाबाद	—	—	1
4	गोरखपुर	1	—	—
5	बरेली	1	—	—
6	नैनीताल	37	—	9
	रेल डाक सेवा			
7	'ए' मण्डल इलाहाबाद	1	—	1
8	'ओ' मण्डल, लखनऊ	4	—	1
9	'एक्स' मण्डल, झांसी	7	—	—
	इंजीनियरी तार			
10	मेरठ	5	—	—
11	बरेली	11	—	13
12	गोरखपुर	4	—	—
13	कानपुर	1	—	—
	इंजीनियरी टेलीफोन			
14	कानपुर	6	—	—
15	लखनऊ	—	—	2
	तार परियात			
16	वाराणसी	3	—	1
17	बरेली	10	—	4
	जोड़	113	—	33

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : अध्यक्ष महोदय, आप को एक निर्णय देना होगा, इस बात का बुनियादी निर्णय देना होगा कि सवाल जिस भाषा में पूछा जाता है उसी भाषा में ज वाब देने का दायित्व है या नहीं? इस बात पर आप को निर्णय देना है ताकि हर वक्त इस बात के बारे में इस तरह से झगड़ा न हो। इस तरह का झगड़ा हर वक्त यहां पर उठ खड़ा होना ठीक बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : It is becoming difficult for me.

यहां हमारे हाउस में इंग्लिश और हिन्दी दोनों में साइमलटेनियस ट्रान्सलेशन का प्राविजन है। अब अगर मंत्री महोदय इंग्लिश में जवाब देते हैं तो उसका साइमलटेनियस हिन्दी ट्रान्सलेशन हो जाता है और अगर हिन्दी में देते हैं तो उसी तरह अंग्रेजी में उस का साइमलटेनियस ट्रान्सलेशन हो जाता है। इसलिए इस विषय को सदन में इस तरह से व्यर्थ में उठा कर भड़काया न जाय।

श्री कंवरलाल गुप्त : ठीक है, ठीक है।

SHRI S. M. BANERJEE : On a point of order, Sir.

MR. SPEAKER : There is no point of order during Question Hour.

SHRI S. M. BANERJEE : On a point of submission, Sir.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : It can be only after that question. If you permit one, there will be no end to it.

SHRI S. M. BANERJEE : I am trying to support.... (*Interruptions*)

SHRI KANWAR LAL GUPTA : You are setting up a bad precedent. I strongly object to this.

SHRI S. M. BANERJEE : It is said that information is being collected. A 21-days notice has been given. . .

MR. SPEAKER : That is no point of order.

श्री ओंकार लाल बेरवा : प्रश्नोत्तरकाल में कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं होता। मुझे सवाल करने दिया जाय।

श्री कंवर लाल गुप्त : उन्हें प्वाइंट आफ आर्डर क्वेश्चन आवर के बाद उठाना चाहिए। श्री ओंकार लाल बेरवा को सवाल करने दिया ज य।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय 753 का जवाब भी साथ ही में दे दें ।

SHRI V. KRISHNAMOORTHI : The answer is given to the whole House and not to a particular Member. The answer should be full. The answer is given to all the members, not only to the Member who put the question. He has been given 21 days notice. He should have collected the information.

श्री शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस में सूचना जिलेवार मांगी गई है, एक, एक जिले की अलग अलग मांगी गई है इसलिए इस के इकट्ठा करने में इतने दिन लग रहे हैं । अगर सारे प्रदेश की चाहें तो वह मैं दे सकता हूं । सारे प्रदेश के बारे में मेरे पास फ़ीगर्स हैं लेकिन जैसा मैं ने अभी कहा जिलेवार इकट्ठा करने में समय लगेगा ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं जैसे कि मंत्री जी ने यह कहा कि इन्फार्मेशन इकट्ठी की जा रही है तो हम उनको 21 दिन पहले सवाल देते हैं और उसके बाद में 21 दिन तक वह कोई जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं और उस के बाद में 21 दिन तक वह कोई जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं तो यही समझा जा सकता है कि यह टालमटोल करने की मंत्री लोगों की आदत होती है वरना कोई वजह नहीं है कि इतनी मुद्दत में वह इसे इकट्ठा न कर सकें ।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि अभी तक कितने कर्मचारियों को आप ने नौकरी से अलग कर रखा है । दूसरे यह कि आप ने कब आर्डर दिया कि इन को वापिस नौकरी पर ले लिया जाय और अब तक न लेने का क्या कारण है ? क्या आप इस की जांच करेंगे ? मुझे पता है कि अभी तक उन्हें नौकरी पर नहीं लिया गया है ?

श्री शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि जिलेवार हम अगर सूचना इकट्ठी करें तो उसमें समय लगता है इसलिए वह इकट्ठी करके हम माननीय सदस्यों को दे देंगे । लेकिन सारे प्रदेश की मेरे पास सूचना है । मध्य प्रदेश में सिर्फ 23 ऐसे कर्मचारी थे जिनको सर्विस में वापिस नहीं लिया गया था । अब हमारा आर्डर चला गया है । अभी माननीय सदस्य ने पूछा कि कौन सी तारीख को गया था तो वह 6 मार्च को गया था होम मिनिस्ट्री का जो पत्र था उस की प्रतिलिपि सब को भेज दी गई थी और उस के बाद 9 मार्च को एक और एम्लीफिकेटरी इंस्ट्रक्शन भी भेजा जिससे कि यह सारी चीज उनके सामने स्पष्ट हो जाय । और उस पर कार्रवाई कर सकें । मैं समझता हूं कि सारी जगहों पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अगर कोई एक आध बाकी हो तो उसको भी जल्दी करने की कोशिश करेंगे ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : जिन कर्मचारियों को 19 सितम्बर की हड़ताल में नोकरी से पृथक किया गया था उनको नौकरी देने तक की तनख्वाह प्रोमोशन तथा दूसरी जितनी भी सुविधायें मिलनी चाहियें क्या वे प्राप्त होंगी ? अगर नहीं होंगी तो उसका कारण क्या है ? कब तक आप उनको ये सारी सुविधायें दे देंगे ?

श्री शेर सिंह : 19 सितम्बर की हड़ताल के कारण जिन की सर्विसेस टर्मिनेट की गई थीं उनकी सर्विस में जो ब्रेक आ गया है उसको तो हमने कनडोन कर दिया है, ब्रेक नहीं रहेगा । लेकिन जो बीच का अर्सा बीत गया है उसके कारण सीनियारिटी में जो असर पड़ गया है वह असर तो रहेगा । यही होम मिनिस्ट्री की हिदायतें थीं और इन्हीं के मुताबिक अमल किया गया है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : क्यों रहेगा ? उनकी यह गलती नहीं थी । यह आपकी गलती से हुआ ।

श्री राम गोपाल शालवाले : सरकार ने अपनी गलती को स्वीकार कर बहुत अच्छा किया है । उनको वापिस ले कर उसने बहुत अच्छा काम किया है । इसके लिए वह बधाई की पात्र हैं । जो छः महीने का अर्सा बीता है बीच में और उसके कारण जो उनको मुश्किलात हुई हैं, उनके सम्बन्ध में भी क्या सरकार कोई विचार करेगी ?

सरकारी कर्मचारी रोज हड़ताल करते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी उन से हड़ताल करवाती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाएगी— (इंटरप्शंज) ये पाकिस्तान के एजंट हैं, चीन के एजंट हैं। इनको शर्म आनी चाहिये। इनका आका पाकिस्तान और चीन है। कभी सरकारी कर्मचारी हड़ताल करते हैं कभी बैंक कर्मचारी करते हैं, कभी डाकखानों में हड़ताल होती है। इससे न केवल सरकार को नुक्सान पहुंचता है बल्कि स्वयं कर्मचारियो को भी नुकसान पहुंचता है, कर्मचारियों को भी दुख सहन करना पड़ता है। क्या सरकार इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध लगाएगी ताकि सरकारी कर्मचारी भविष्य में हड़ताल न कर सकें? जो विदेशी एजंट हैं वे उनको भड़का न सकें?

श्री शेर सिंह : सरकार ने कोई गलती नहीं की। इसलिए गलती को स्वीकार करने का कोई सवाल नहीं है। गलती कर्मचारियों ने की लेकिन फिर भी उनके साथ नरमी का बरताव किया गया है। उनके मामले में हमने इतना ही किया है कि सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है।

दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही है, वह सजेशन फार एक्शन है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : 19 सितम्बर की हड़ताल न तो कम्युनिस्ट पार्टी ने करवाई और न किसी विदेशी एजंट ने करवाई। यह हड़ताल जो कर्मचारियों की कठिनाइयां थी, उनके कारण हुई। जो उनकी मांगें थीं उनको ले कर यह हड़ताल हुई।

जहां तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है, मुझे याद है कि मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि 36 लोग निकाले गये हैं और उन में से रतलाम प्रापर के 26 लोग थे। उस रोज जंगल में जा कर भोजन बना कर उन्होंने खाया था। वे लोग हड़ताल में शामिल नहीं थे। केवल उस रोज उन्होंने जंगल में जा कर भोजन बना कर खाया। उनका जो अफसर था उसने जो व्यवस्था दी थी, चूंकि उसका पालन नही हुआ इस वास्ते उन से उसने बदला लिया। जिस अफसर ने इस प्रकार से बदला निकाला क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी?

साथ साथ जो बिना कसूर निकाले गए हैं, बहुत से अधिकारियों ने व्यक्तिगत रंजिश की वजह से उनको निकाला था, उन मामलों की छानबीन करके दोषी अफसरों को दंड दिया जाएगा और उन कर्मचारियों की सर्विस को बराबर जारी रखा जाएगा?

श्री शेर सिंह : ऐसी सूचना हमारे पास नहीं है कि किसी अफसर ने तंग करने की गर्ज से या बदला लेने की गर्ज से निकाला। जितने भी मध्य प्रदेश में निकाले गए मैंने सूचना मांगी है और मुझे पता चला है कि उन में से केवल एक केस अभी रहता है। उसके लिए भी हिदायतें दे दी हैं। उसको भी वापिस ले लिया जाएगा। इस तरह से कोई ऐसा नहीं है जो बाहर रह जाएगा।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मध्य प्रदेश में 36 में से 26 केवल एक जिले के थे रतलाम के थे। बाकी जो दस हैं वे बाकी सभी जिलों के हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय जांच करवायेंगे, कार्रवाई करवायेंगे?

श्री कंवर लाल गुप्त : उस अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे?

श्री शेर सिंह : जो आरोप माननीय सदस्य लगाते हैं, उसको तह मुझे दे देंगे तो जो भी अफसर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसके बारे में पता लगाया जाएगा।

श्री शारदानन्द : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो प्रश्न करने का अवसर मिलना चाहिये। जो उत्तर मंत्री महोदय ने दिया है उस में कहा है कि 113 और 33 व्यक्तियों को दंडित किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस में वायोलेंस करने वाले कितने केसिस थे और एक्टिव इंस्टीगेशन का चार्ज कितने कर्मचारियों के ऊपर लगाया गया था?

श्री शेर सिंह : इसके लिए नोटिस चाहिये । मैंने सूचना दे दी है डिविजनवाइज जो लोग निकाले गए ।

श्री शारदानन्द : जो सूचना दी है उस में यह नहीं है जो मैंने पूछा है ।

श्री शेर सिंह : जो प्रश्न था वह यह था कि कितने लोग अस्थायी थे जिन को हटाया और कितने स्थायी को सस्पेंड किया । दोनों सूचनायें मैंने दे दी हैं । जो आप चाहते हैं कि किस किस ढंग के कितने केसिस हुए, उसके लिए नोटिस मुझे चाहिये ।

श्री शारदानन्द : आपने उनको रीइंस्टेट किया, यह अच्छी बात है । लेकिन अभी तक उनके ऊपर जो मुकदमे चल रहे थे उनको उठाया नहीं गया है । क्या आप जल्दी से जल्दी उन मुकदमों को उठाने की व्यवस्था करेंगे ?

जो अफसर बैठे हुए हैं वे उन कर्मचारियों के खिलाफ जो उनके मन के मुताबिक नहीं बैठते हैं, उनके मन के मुताबिक काम नहीं करते हैं, जब ऐसे मौके आते हैं तो एक्टिव इंस्टीगेशन का चार्ज लगा कर उनको तरह तरह से परेशान करते हैं । क्या आप आदेश जारी करेंगे कि इस प्रकार से कर्मचारियों को परेशान न किया जाए ? भविष्य के लिए आप कोई इस प्रकार के आदेश जारी करेंगे ?

श्री शेर सिंह : जितनी बाते सामने आती हैं उसको हम समय समय पर रिव्यू करते रहे हैं । इसीलिए बहुत से लोगों को वापिस लिया गया है । उनको हम रीइंस्टेट भी करते रहे हैं । अब तो एक जनरल आर्डर भी हो गया है । उन सब बातों की समय समय पर हम जांच करते रहे हैं ।

जहां तक गलत ढंग से इनवाल्व करने की बात है, वे केसिस जिन में जान नहीं थी उनको वापिस ले लिया गया है । जिस केस में इंस्टीगेशन की, हिंसा की या और कोई ऐसी चीज थी और जो केसिस अभी चल रहे हैं उनका कोर्ट में फैसला हो जाएगा । लेकिन उनको भी हमने सब को सर्विस में वापिस ले लिया है ।

श्री भारत सिंह चौहान : जब यह निर्णय हो गया कि इन कर्मचारियों को बहाल किया जाये, तो उस को कार्यान्वित करने में इतना विलम्ब क्यों हुआ ? केन्द्रीय सरकार के आदेश जल्दी से जल्दी अमल में लाये जायें, क्या इस बारे में कोई विचार किया गया है, क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि शासन की ओर से जो आदेश दिये जाते हैं, उन का पालन करने में महीनों लग जाते हैं और इसी लिए ये सब कठिनाइयां होती हैं ? क्या सरकार इस पर विचार करने के लिए तैयार है कि उस के आदेश पर तुरन्त अमल किया जाये ?

श्री शेर सिंह: जैसा कि मैं ने पहले निवेदन किया है, 9 मार्च को यहां से हिदायतें दी गई और उस के बाद उन पर तुरन्त अमल किया गया । जब भी कोई एक-आध केस हमारे नोटस में लाया गया है, हम ने उस के बारे में आदेश दिया है । सारे देश में ऐसे चार पांस केस बचे हुए हैं । हम उन के बारे में कार्यवाही कर रहे हैं । (**व्यवधान**)

श्री श्रीगोपाल साहू : अब तक ऐसे कितने मामले उत्तर प्रदेश में बाकी रह गये हैं, जिन के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है और उन के बारे में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री शेर सिंह : किस दृष्टि से निर्णय ? सब को सर्विस में वापिस ले लिया गया है । ऐसा कोई केस बाकी नहीं रहा है, जिस में कर्मचारी को वापिस सर्विस में नहीं लिया गया है ।

SHRI S. M. BANERJEE: On 2nd March, 1970 an annoncement was made in this House by the Home Minister that in the case of those Central Government employees, whether in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh or elsewhere, who participated in the strike of 19th September, 1968 and suffered a break in service, their break in service would be condoned, and it was also assured in this House by the hon. Minister, Shri Satya Narayan Sinha, that the break in service would not result in the banning

of any promotion, but it has been brought to our notice that after this announcement on 2nd March, 1970, on the 3rd March 1970 some promotions were made at various places where the claims of the senior employees were ignored because they participated in the strike in 1968. I wish to know from the hon. Minister whether the decisions taken by the departmental promotional committtees for promoting employees to various posts ignoring the claims of those who participated in the strike will now be reconsidered, whether all such promotions which were made after the issue of these orders will be annulled and fresh panels drawn up. I want an assurance from the hon. Minister who knows the case very well.

THE MINISTER OF INFORMATION & BROADCASTING, AND COMMUNICATIONS (SHRI SATYA NARAYAN SINHA): More than once this position has been explained to the hon. friend there, and I told him that so far as I am concerned I had passed orders, but some clarification was needed from the Home Ministry and it has been referred to them.

SHRI S. M. BANERJEE: Certain provisional promotions are said to have been made subject to confirmation by the Minister. Will those promotions be held in abeyance, as otherwise there will be no post left?

SHRI SATYA NARAYAN SINHA: I would request the hon. Member to wait for a few days and let the clarification come, when it will be decided.

श्री शशि भूषण : सरकार ने स्ट्राइक में भाग लेने वाले कर्मचारियों को वापिस लेने का जो फ़ैसला किया है, मंत्री महोदय उस के लिए मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने स्ट्राइक में हिस्सा नहीं भी लिया, जो लीडर ज़रूर थे, उन को—यहां तक कि पोस्टमैन को भी—दूर दूर शहरों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अगर बड़े अधिकारी दिल्ली में आ जायें, तो वे पंद्रह साल तक वापिस नहीं जाते हैं। लेकिन उन छोटे छोटे कर्मचारियों को बदले की भावना से दूर दूर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मैं चाहूंगा कि उन लोगों के ट्रांसफ़र वापिस लिये जायें और उन को पहली जगहों पर रखा जाये।

श्री शेर सिंह : अगर माननीय सदस्य कोई ऐसे केस देंगे, तो हम उन पर ज़रूर विचार करेंगे।

श्री शिव नारायण : अध्यक्ष महोदय, अभी किसी माननीय सदस्य ने मध्य प्रदेश के बारे में पूछा है और किसी ने उत्तर प्रदेश के बारे में। 17 सितम्बर को जो स्ट्राइक हुई थी, वह देश भर में हुई थी। इस लिए मैं पूरे देश के बारे में सवाल पूछना चाहता हूं। "हित अनहित पशुपक्षी जाना"। लेकिन यह सरकार देश में किसी को भी अपना शुभचिन्तक नहीं बना रही है। वह सब को एक ही लाठी से हांक रही है। सामने बैठे हुए लोग भी सत्याग्रही रहे हैं और उन्होंने भी आन्दोलन किया है। उसी तरह इन कर्मचारियों ने भी आन्दोलन किया था। यह सरकार सोशलिज्म में विश्वास करने का दावा करती है और सोशलिज्म का स्लोगन लगाती है। मैं यह पूछना चाहता हूं क्या यह माइनारिटी गवर्नमेंट उन लोगों को वार्निंग दे कर वापिस काम पर लगायेगी और फिर उन का काम वाच करेगी (**व्यवधान**)

श्री शेर सिंह : श्री शिव नारायण का सवाल लाजवाब है। (**व्यवधान**)

श्री एस० एम० जोशी : मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बार-बार यह कहने से कि मजदूरों की गलती थी, मजदूरों और अफ़सरों के बीच अच्छे ताल्लुकात कायम होने में ख़लल पड़ता है। इस लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि बार-बार यह बात न कही जाये, क्योंकि यह एक डिसपूटिड पायंट है। हमारे ख़याल में तो गवर्नमेंट ही सौ फ़ीसदी फलत है। इस स्टेटमेंट में बताया गया है कि यू० पी० में नैनीताल में 37 पर्मानेंट या क्वैसी-पर्मानेंट कर्मचारियों को ससपेंड किया गया और 9 टेम्पोरेरी कर्मचारियों को डिसचार्ज किया गया। ये सब केस हल्दवानी के हैं। इस स्टेटमेंट से यह पता नहीं चलता है कि उन

लोगों ने कोई गुंडागर्दी की थी, जिस के कारण उन सब को निकाल दिया गया, या वहां के अफ़सरों ने किसी अन्य भावना से काम ले कर यह कार्यवाही की । क्या हुकूमत अपने अफ़सरों को यह हिदायत देगी कि हम एक नया जमाना शुरू करने वाले हैं, जिस में कर्मचारियों और अफ़सरों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित हों और इस लिए ऐसी कोई कार्यवाही न की जाये, जिस से उन सम्बन्धों में किसी प्रकार की कटुता आये ? अभी माननीय सदस्य ने कर्मचारियों के ट्रांसफ़र्ड का जिक्र किया है । मेरे पास इन्दौर से तार आया है कि बहुत से लोगों को बिना किसी औचित्य के ट्रांसफ़र कर दिया गया । क्या सरकार पहले के से अच्छे सम्बन्ध कायम करने के लिए उन लोगों के बारे में कोई संतोषजनक प्रबन्ध करेगी ?

श्री शेर सिंह : यह जो निर्णय लिया गया है, उस की भावना और उद्देश्य यह है कि फिर से अच्छे सम्बन्ध स्थापित हों और सद्भावना बढ़े और काम ठीक तरह से चले । शायद माननीय सदस्य को डीटेल्ज की जानकारी नहीं है । उन्होंने 37 की संख्या देख कर समझ लिया कि वहां किसी अफ़सर ने ज्यादती की है, लेकिन यह भी हो सकता है कि वहां कर्मचारियों ने अधिक संख्या में कानून का उल्लंघन किया हो ।

श्री मधु लिमये : मैंने बहुत पहले हल्दवानी के बारे में श्री सत्य नारायण सिंह को पत्र लिखा था ।

SHRI NAMBIAR : May I know whether the Government are aware that a large number of P & T employees in Kerala Circle are being transferred to various places immediately after their reinstatement from discharge or suspension, because they participated in the strike of 19th September, 1968, and whether the Government are taking any action to see that such vindictive actions are stopped?

SHRI SHER SINGH : He has referred to vindictive action. Transfers may have been done in a routine way. After an employee has served at a particular place for a specific period, he can be transferred. But I will find out if there are any such cases where there is vindictiveness.

SHRI S. KANDAPPAN : I do not think that the authorities concerned will give a statement to the Minister about their vindictiveness. He has to find out and tell us.

SHRI NAMBIAR : My submission is, after a long duration of dismissal or suspension, they are taken back, as pressure comes and as agreement is reached, but on joining duty, immediately they are transferred indiscriminately, especially those who are responsible office-bearers of the union. So, what are we to derive from this? Will the Minister go into those cases wherein officials of the union are involved and see that such things are not done?

SHRI SHER SINGH : I shall go into it and find out.

दूर संचार सेवा का जापान के सहयोग से विस्तार

*752. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में दूर संचार सेवाओं से सम्बन्धित विकास कार्यों का अध्ययन करने के लिए जापान के शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया था तथा क्या उक्त शिष्टमंडल ने देश के दूर संचार उपकरण बनाने वाले कारखानों का भी दौरा किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त शिष्टमंडल ने जापान के सहयोग से देश में दूर संचार सेवाओं का विस्तार करने के सम्बन्ध में मंत्री महोदय के साथ बातचीत की थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।